# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0

राजस्व वाद संख्या :– 57/2022

| वादीनी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. पारू पत्नी सोनाराम पुत्री भैराराम जाति जाट निवासी आलमसरिया हाल निवासी ताजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। | | 1. आयचुकी पुत्री भैराराम<br>2. गैरो पुत्री भैराराम<br>3. रानी पुत्री भैराराम<br>4. गोरधनराम पुत्र भगाराम<br>5. प्रकाश पुत्र भगाराम<br>6. लक्ष्मणराम पुत्र भगाराम<br>7. मूलीदेवी पत्नी भगाराम<br>8. दमाराम पुत्र काछबाराम<br>9. मूलाराम पुत्र काछबाराम जाति जाट निवासी आलमसरिया तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर<br>10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना। |

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89(क), 40, 188 व 209 रा.का.अ. वास्ते नाम दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा।</u>

तारीख रजू 21/06/23

अधिवक्ता :–

01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादीनी
02. श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 02/01/24

वाद का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वकील मय वादीनी ने एक राजस्व वाद **<u>अन्तर्गत धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 वास्ते नाम दुरूस्त की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा</u>** पेश कर निवेदन हैं कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 09 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल उड़ासर के ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 54 क्षेत्रफल 15.8394 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, का आया हुआ है। **जिसको वाद के आगामी पदो मे विवादित आराजी से सम्बोधित किया जावेगा।** वादीनी ग्राम आलमसरिया पटवार क्षेत्र उड़ासर हाल निवासी ताजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर की मूल निवासी है। कृषि भूमि ग्राम आलमसरिया में स्थित है। विवादित आराजी वादीनी की पैतृक ... सम्पत्ति है वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना सत्यमेव जयते

02/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

वादीनी की माता **"सोनी बैवा भेराराम"** के नाम थी **"सोनी बैवा भेराराम"** होने से वादीनी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी है। उपरोक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित पैतृक व पुस्तैनी वादग्रस्त आराजी में वादीनी के माता **"सोनी बैवा भेराराम"** फौत होने से ग्राम आलमसरिया के नामान्तकरण संख्या 50 दिनांक 2210.77 को हल्का पटवारी द्वारा दायर किया था जिसमें नामान्तकरण नवीन अंकन कृषक के नाम कॉलम संख्या 11 में पार्वती गलत नाम दर्ज कर दिया था जबकि जबकि सही अंकन कॉलम संख्या 11 में **" पारू"** के नाम दायर करना था। **पार्वती व पारू एक ही वादीनी का ही नाम है।** वक्त फौतेदगी नामान्तकरण के समय वादीनी नाबालिंग थी वादीनी के अन्य सह खातेदार देखरेख करते थे वादीनी नाबालिंग होने के कारण वादीनी को जानकारी नही रहीं **"सोनी बैवा भेराराम"** फौतेदगी नामान्तकरण करते समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य अधिकता, मानवीय भूल, आनन–फानन, से राजस्व रिकॉर्ड वादग्रस्त आराजी में **"पारू पुत्री भैराराम के स्थान पर पार्वती पुत्री भैराराम "** लिखा दिया जो गलत व माननीय भूल के कारण नामान्तकरण व जमाबन्दी में लिखा गया था। वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमना पटवार मण्डल उड़ासर के ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 54 क्षेत्रफल 15.8394 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, में वादीनी वादग्रस्त आराजी में वक्त नामान्तकरण से आज दिन तक काबिज काश्त हैं एवम् ढाणीं, टांके, चारबाड़े, पशुबाड़ा आदि बने हुए है। खातेदारी भूमि में अपने हिस्से में प्राकृतिक पैदावार लेती आ रही है, इसलिए **वादग्रस्त आराजी में वादीनी का नाम "पार्वती पुत्री भेराराम के स्थान पर " पारू पुत्री भैराराम पत्नी सोनाराम " घोषित** करवाने का अधिकारिणी हैं इस हेतु घोषणा का वाद श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर तहसील धोरीमना पटवार मण्डल उड़ासर के ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 54 क्षेत्रफल 15.8394 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम राजस्व रेकर्ड / जमाबन्दी खाते में नाम **" पार्वती पुत्री भेराराम" के स्थान पर "पारू पुत्री भैराराम पत्नी सोनाराम" खातेदारी** में घोषित करवाने का अधिकारिणी हैं इसी अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारिणी है इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है। बिनायदावा बमुकाम ग्राम आलमसरिया पटवार क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमना में जब फौतेदगी नामान्तकरण व चौसाला जमाबंदियों में दर्ज किया तब, पटवारी हल्का से राजस्व नकले प्राप्त की तब तब उपर वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद कारण पैदा हुआ हैं वाद अन्दर म्याद पेश है। वादी की इस्तदुआ निम्नांकित हैं जो वादी के पक्ष में सादिर फरमाई जावें कि :–ए. कि वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमना पटवार मण्डल उड़ासर के ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 54 क्षेत्रफल 15.8394 हैक्टेयर किस्म बारानी में वादीनी का नाम " **पार्वती**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30.48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

02/01/24

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

**पुत्री भेराराम"** के स्थान पर **"पारू पुत्री भैराराम पत्नी सोनाराम"** राजस्व रिकार्ड मे खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावें। बी. कि आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के अनुसार वादग्रस्त आराजी में **" पार्वती पुत्री भेराराम"** के स्थान पर **"पारू पुत्री भैराराम पत्नी सोनाराम"** नाम दुरूस्त किया जाएं। सी. कि वादपत्र में वर्णित पैरा संख्या 07 अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा घोषित की जाए। डी. कि वाद का खर्चा वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।ई. कि अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीनी के पक्ष में प्रमाणित हो वो बादीनी को दिलवाई जावे और धारा 209 रा0का0 अधि0, सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादी इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनता हो वो दिलवाई जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने अपना ईकबालिया जबाब प्रस्तुत किया, कि वाद पत्र के पद संख्या 01 रिकॉर्ड मुजब होने से सही व स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 02 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 03 सही होने से स्वीकार का जबाब यह हैं कि वादग्रस्त आराजी वादी का वास्तविक नाम पारू है। नाम सही करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वाद पत्र के पद संख्या 04 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 05 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 06 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 07 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 08 वादी का बिनायदावा होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 09 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 10 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 11 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 12 के उपपद वार निम्न प्रकार से हैं पद संख्या 12 के उप पद संख्या A सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 12 के उप पद संख्या B सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 12 के उप पद संख्या C सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 12 के उप पद संख्या D अस्वीकार है। पद संख्या 12 के उप पद संख्या E सही होने से स्वीकार है। अतः ईकबाली जबाब स्वीकार कर वादीनी द्वारा प्रस्तुत स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी जो सामिल मिसल किया गया हैं।

पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया। साक्ष्य वादीनी दौरान दस्तावेज प्रदर्श पी– 01 से प्रदर्श पी– 08 अंकित किया गया। साक्ष्य [illegible] वादीनी पारूदेवी के शपथ पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू 01 अंकित किया [illegible] पर वादीनी अधिवक्ता द्वारा और (साक्ष्य) पेश नहीं करने का कथन करने पर [illegible] पर साक्ष्य वादी बंद किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

02/01/2

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

जाकर एवं प्रतिवादीगण ने भी साक्ष्य नहीं करने का कथन करने पर प्रकरण को सीधे बहस में नियत किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। हमने प्रदर्शित दस्तावेजों एवं साक्ष्य शपथ – पत्र प्रदर्श पी– डब्ल्यू 01 का अध्ययन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी में **"पार्वती पुत्री भेराराम" के स्थान पर "पारू पुत्री भैराराम पत्नी सोनाराम" किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।**

**–:: आदेश::–**

**अतः वादीनी की इस्तदुआ स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि** वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 09 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल उड़ासर के ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 54 क्षेत्रफल 15.8394 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, में "पार्वती पुत्री भेराराम" के स्थान पर **"पारू पुत्री भैराराम पत्नी सोनाराम" राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार तहसीलदार धोरीमना को राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण करने आदेश दिया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिकरी की पालना करें।** पत्रावली संख्या से एक क्रम होकर दाखिल दफ्तर हों।

02/01/24

(लाखाराम, RAS)
*सहायक कलेक्टर एवं पदेन*
**उपखण्ड अधिकारी धोरीमना**

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 02/01/24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

02/01/24

(लाखाराम, RAS)
*सहायक कलेक्टर एवं पदेन*
**उपखण्ड अधिकारी धोरीमना**

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
## (ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकान धोरीमना

बइजलास :– श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0

| वादीनी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 2. पारू पत्नी सोनाराम पुत्री भैराराम जाति जाट निवासी आलमसरिया हाल निवासी ताजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। | | 10. आयचुकी पुत्री भैराराम<br>11. गैरो पुत्री भैराराम<br>12. रानी पुत्री भैराराम<br>13. गोरधनराम पुत्र भगाराम<br>14. प्रकाश पुत्र भगाराम<br>15. लक्ष्मणराम पुत्र भगाराम<br>16. मूलीदेवी पत्नी भगाराम<br>17. दमाराम पुत्र काछबाराम<br>18. मूलाराम पुत्र काछबाराम जाति जाट निवासी आलमसरिया तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर<br>10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना। |

वाद संख्या 52/2022

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 वास्ते नाम दुरूस्त की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री देवाराम चौधरी वादीगण, श्री रामनिवास विश्नोई प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू. पक्षकारान् व हाजरी मिनजानिब मुदई वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 09 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल उड़ासर के ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 54 क्षेत्रफल 15.8394 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम, में "पार्वती पुत्री भैराराम" के स्थान पर "पारू पुत्री भैराराम पत्नी सोनाराम" राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार तहसीलदार धोरीमना को राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण करने आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिकरी की पालना करें।

नीज .................................. मबलिग .................................. बाबत .................................. .......... खर्चा। इस मुकदमे के मय सुद व शरह .................................. फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक .................................. को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02/01/24 .................. को सरे ईजलास जारी किया गया।

02/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner